

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2021—चैत्र 19, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 मार्च 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री दीपक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से., उप सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ उप सचिव, राजभवन सचिवालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री दीपक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. द्वारा उप सचिव, राजभवन सचिवालय का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री के. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय केवल संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मार्च 2021

क्रमांक 520/1224/2019/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम-1966 के नियम-6(ए) के अंतर्गत निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-3 में दर्शाई गई तिथि से वरिष्ठ वेतनमान (Senior Time Seale) Level 11 of the Pay Matrix Rs. 67,700-2,08,700 में नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति की तिथि (3)
1.	श्री जाधव सागर रामचंद्रा (2017)	01-01-2021
2.	श्री वरूण जैन (2017)	01-01-2021
3.	श्री आयुष जैन (2017)	01-01-2021
4.	श्री सौरभ सिंह ठाकुर (2017)	01-01-2021
5.	श्री शशिगानंदन के. (2017)	01-01-2021
6.	श्री अभिषेक जोगावत (2017)	01-01-2021

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 मार्च 2021

क्रमांक/एफ 7-11/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री हिमांशु गुप्ता, भापुसे (1994) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन/चयन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 16-03-2021 से 30-03-2021 (कुल 15 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

- अवकाश से लौटने पर श्री हिमांशु गुप्ता, भापुसे (1994), आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन/चयन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
- अवकाश काल में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.
- प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु गुप्ता, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
- श्री हिमांशु गुप्ता, भापुसे (1994) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन/चयन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में उनका चालू प्रभार श्री टी.आर. पैकरा, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-1/2016/16.—उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (क्रमांक 39 सन् 1972) की धारा 7(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम 2 में वर्णित अधिकारियों को कॉलम 3 में वर्णित अधिकारिता क्षेत्र हेतु अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	क्षेत्र (3)
1.	श्री डी. पी. तिवारी, उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर.	रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में आने वाले जिले
2.	श्री एस. एस. पैकरा, उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर.	दुर्ग, अंबिकापुर एवं बस्तर संभाग में आने वाले जिले

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक 14/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	लमगांव प.ह.नं. 22	3.463	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.).	असकला - बुलगा व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक 15/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	बुलगा प.ह.नं. 24	1.288	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.).	असकला - बुलगा व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक 16/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	चोरकीडीह प.ह.नं. 24	6.261	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.).	असकला - बुलगा व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक 17/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	असकला प.ह.नं. 23	1.077	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.).	असकला - बुलगा व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर
(1)
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

बेमेतरा, दिनांक 1 मार्च 2021

980/1 0.13

क्रमांक 590/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

980/2 0.21

980/3 0.21

980/4 0.07

980/5 0.07

अनुसूची

योग 0.69

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-बेमेतरा

(ख) तहसील-साजा

(ग) नगर/ग्राम-परपोड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.69 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भटगांव जलाशय योजना अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 1 मार्च 2021

क्रमांक 591/अ-82/2020-21.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-परपोड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.27 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
235/1	0.19
235/2	0.03
234/1	0.10
234/3	0.06
237	0.01
233/7	0.10
233/9	0.01
233/11	0.02
233/10	0.05
233/5	0.01
229/1	0.01
230	0.10
59	0.17
63/1	0.06
62/1	0.04
64/6	0.03
64/5	0.02
64/4	0.03
64/3	0.01
172/1	0.03
172/2	0.02
172/3	0.06
171	0.03
225	0.08 (शासकीय भूमि)
योग	1.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चारभाठा जलाशय योजना अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 2 मार्च 2021

क्रमांक 01/अ-82/2018-19.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-घोटमरा, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135/2	0.04
137/3	0.06
135/3	0.06
135/4	0.05
137/1	0.04
137/2	0.04
138	0.01
योग	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—घोटमरा स्टाप डेम के एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेरला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव अनंत तायल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 27 जनवरी 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/2598/11/अ-82/वर्ष 2018-19.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता
है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-छुरा
(ग) नगर/ग्राम-सांकरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.136 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
148	0.002
163	0.001
179	0.002
181	0.007
619	0.001
978/1	0.005
977/1	0.018
985/1	0.041
987	0.026
978/2	0.015
978/3	0.001
989	0.004

(1) (2)

991 0.013

योग 0.136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पाण्डुका-
जतमई-घटारानी-गायडबरी-मड़ेली-मुड़ागांव मार्ग का उन्नयन
एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(रा.), छुरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 जनवरी 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/2600/15/अ-82/वर्ष 2018-19.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता
है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-छुरा
(ग) नगर/ग्राम-गाड़ाघाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.432 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
528/3	0.001
557	0.008
558	0.006
565	0.003
572	0.004
573	0.003
576	0.002
580	0.005
593/3	0.002

(1)	(2)	(1)	(2)
581	0.004	594	0.001
592	0.002		
591	0.004	योग	0.432
598	0.021		
664	0.014	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाण्डुका-जतमई-घटारानी-गायडबरी-मड़ेली-मुड़ागांव मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.	
600	0.005		
606	0.005		
685	0.002		
728/1	0.048	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), छुरा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
728/2	0.045		
728/3	0.159		
774	0.084	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
577	0.003	निलेशकुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2020

क्रमांक गन्ना/क्षेत्र आरक्षण/2020-21/13965. —मैं अमृत कुमार खलखो, गन्ना आयुक्त, छ.ग. रायपुर, माँ महामाया, सहकारी शक्कर कारखाना केरता, जिला सूरजपुर के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित गन्ना क्षेत्र को गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 के लिये आरक्षित घोषित करता हूँ. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना शक्कर कारखाना निम्न क्रय केन्द्र पर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र. (1)	क्रय केन्द्र का नाम (2)	विकासखण्ड (3)	ग्रामों की संख्या (4)	गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में (5)
1.	कारखाना द्वार	प्रतापपुर	83	3444.886
		सूरजपुर	33	934.739
		भैयाथान	11	78.322
		राजपुर	36	1498.298
		बलरामपुर	19	87.917
		शंकरगढ़	18	56.085
		रामचन्द्रपुर	3	12.132
		वाड्डफनगर	13	46.834
		लखनपुर	10	7.136
		अंबिकापुर	28	152.075
		उदयपुर	1	4.720
		लुण्ड्रा	78	1781.141
		बतौली	38	508.281
		सीतापुर	14	56.709
		मैनपाठ	4	19.371
		योग	389	8689.846

अमृत कुमार खलखो,
गन्ना आयुक्त

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर, ग्राम केरता, तहसील-प्रतापपुर,
जिला सूरजपुर (छ.ग.)

विकासखण्ड वार क्रय केन्द्र अंतर्गत आने वाले ग्रामों की संख्या
पेराई सत्र-2020-21

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
1.	कारखाना द्वार	प्रतापपुर	1	बगडा	22	7.063	57.820	56.545	121.279
			2	बैकोना	23	2.477	42.146	66.782	111.771
			3	वंशीपुर	30	1.226	0.000	0.000	1.226
			4	बरौल	17	0.722	0.919	5.743	7.385
			5	बरबसपुर	26	0.400	12.184	48.536	61.120
			6	बरपटिया	58	0.000	0.360	3.820	4.180
			7	बटई	52	0.000	0.000	0.990	0.990
			8	भैरवपुर	23	1.904	5.550	18.265	25.719
			9	भरदा	15	0.000	10.286	7.811	18.096
			10	बोझा	23	3.976	24.023	27.067	55.066
			11	बुढाडांड	24	0.400	20.735	27.418	47.853
			12	चांचीडांड	16	0.546	41.605	49.710	91.861
			13	चंदौरा(प्रतापपुर)	23	1.711	3.637	10.447	15.369
			14	चन्द्रमेढा	33	1.130	0.340	5.651	6.872
			15	चन्दरपुर	12	2.280	6.541	7.219	16.041
			16	चंद्रेली	26	1.072	42.681	46.062	88.665
			17	डांड करवों	47	1.900	0.000	0.390	2.290
			18	दरहोरा	28	1.223	5.411	10.817	17.451
			19	देवरी (प्रतापपुर)	26	0.000	0.266	1.567	1.833
			20	धरमपुर	6	5.709	14.701	38.974	59.384
			21	धुमाडांड	45	0.390	0.000	2.790	3.180
			22	हुमरखोली	20	0.450	1.930	7.358	9.738
			23	दुरती	37	2.010	5.901	18.557	26.467
			24	गणेशपुर	11	1.695	3.046	28.625	33.866
			25	गोटगावां	12	0.804	2.637	6.923	10.364
			26	गौरा	15	0.264	20.618	26.836	47.719
			27	गोविन्दपुर	51	0.000	1.200	0.500	1.700
			28	हरिहरपुर	26	0.000	0.000	0.493	0.493
			29	जगन्नाथपुर	3	0.768	0.963	13.165	14.896
			30	जरही कालोनी	46	9.489	12.700	6.183	28.372

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			31	झिगादोहर	27	0.000	0.491	0.300	0.791
			32	कनकनगर	15	0.200	9.609	15.812	25.621
			33	कैराडांड	19	2.345	6.128	19.354	27.826
			34	करसी	27	0.553	56.546	118.648	176.018
			35	केरता	2	1.390	39.431	106.992	147.358
			36	केवरा	25	0.360	16.488	27.392	44.820
			37	खड़गवाकला	7	7.779	74.690	190.756	273.738
			38	खजुरी(प्रतापपुर)	16	0.000	15.199	29.338	44.537
			39	खैराडीह-प्रतापपुर	22	1.232	5.918	7.944	15.093
			40	खुन्शी	28	0.000	5.688	9.278	14.966
			41	कोटेया	20	0.000	48.469	41.897	89.963
			42	लोलकी	22	2.630	6.048	17.380	26.057
			43	मदननगर	6	2.282	12.475	34.154	48.911
			44	माडीडांड	8	0.000	2.511	10.572	13.083
			45	मजगांवा	22	0.000	1.835	5.708	7.543
			46	मकनपुर	26	0.000	12.977	15.870	28.722
			47	मानी	21	0.300	8.320	13.233	21.853
			48	मानपुर	5	0.680	7.709	26.636	35.025
			49	मरहल	33	0.400	2.490	5.085	7.975
			50	मसगा	23	0.000	1.550	13.835	15.385
			51	मटिगड़ा	30	0.400	3.704	10.422	14.526
			52	मायापुर-1	20	1.000	31.015	71.907	103.922
			53	मायापुर-2	23	2.990	18.077	22.180	43.247
			54	नरोला	52	0.000	0.600	2.210	2.810
			55	नवाडीह (प्रतापपुर)	25	5.199	33.435	46.020	84.855
			56	पहिया	28	0.032	6.645	19.582	26.258
			57	पल्ल	22	0.633	15.523	14.373	31.422
			58	पम्पापुर(प्रतापपुर)	2	3.805	12.338	46.021	63.344
			59	पेन्डारी	26	0.334	11.830	18.228	30.891
			60	पोदिपा(प्रतापपुर)	23	2.870	19.329	37.067	59.266
			61	प्रतापपुर	15	1.253	17.465	39.338	58.056
			62	रमगंवा	20	1.677	15.828	37.198	54.702
			63	रमकोला	67	0.000	0.000	0.400	0.400

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			64	रामपुर-2	17	0.304	13.390	18.670	32.364
			65	रन्हत	56	0.000	0.500	0.400	0.900
			66	रेवटी	46	1.400	0.500	19.210	21.110
			67	सकलपुर	27	3.594	10.990	10.180	24.764
			68	सौतार	22	0.000	5.645	17.367	23.012
			69	सरहरी	25	1.694	1.877	7.665	11.236
			70	सलीपारा(चन्द्रमेढा)	32	0.000	0.850	3.472	4.322
			71	सिलौटा	25	0.000	18.864	31.346	50.930
			72	सिलफिली	23	0.400	42.313	45.915	88.481
			73	सेमई	20	2.772	32.872	39.807	76.111
			74	सेमराकला	25	0.000	16.957	22.370	39.326
			75	सेंधोपारा	38	0.726	1.650	10.245	12.621
			76	शंकरपुर	27	4.616	20.148	12.361	37.125
			77	श्यामनगर	30	0.000	0.000	0.770	0.770
			78	सिंघरा	11	7.162	19.568	76.506	102.055
			79	सिंगरी	41	0.000	0.000	0.435	0.435
			80	सोनगरा	25	5.407	56.490	51.434	113.331
			81	सोनपुर	24	5.200	12.527	19.261	36.988
			82	सुखदेवपुर	13	3.116	30.879	22.692	56.687
			83	दुकुठांड	18	4.614	59.136	78.942	142.592
योग-						130.957	1203.710	2109.420	3444.886

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
2.	कारखाना द्वार	सूरजपुर	1	अखोराकला	18	9.376	14.359	99.910	123.554
			2	अनुज नगर	33	0.000	1.369	4.148	5.517
			3	बिहारपुर	40	0.000	8.541	10.768	20.039
			4	बोंगा	65	0.000	0.000	1.990	1.990
			5	दृजनगर	25	1.059	1.116	3.834	6.009
			6	छत्तरपुर	13	2.075	1.489	23.314	26.878
			7	द्वारिका नगर	31	0.000	2.623	5.698	8.321
			8	गजाधरपुर	31	0.654	2.269	8.945	12.059
			9	गंगापुर	36	0.000	1.446	5.854	7.300
			10	हरिपुर	22	0.000	29.556	75.023	104.579
			11	हीराहदरी	34	0.830	4.032	4.850	9.712
			12	जगतपुर	40	0.000	2.286	3.632	5.516
			13	जुड़वानी	40	0.000	0.115	0.575	0.690
			14	कल्याणपुर	14	3.604	19.216	74.299	97.114
			15	करंजी	45	0.000	0.000	0.672	0.672
			16	कसलगिरी	32	0.000	0.129	0.310	0.439
			17	कसकेला	38	0.000	0.571	1.680	2.252
			18	लटोरी	28	0.340	0.629	2.389	3.357
			19	महेशपुर	31	0.000	1.608	3.193	4.801
			20	मंजीरा	22	1.390	19.626	40.461	61.878
			21	मोहनपुर	26	0.000	4.115	14.767	18.881
			22	नारायणपुर	40	0.000	0.000	0.320	0.320
			23	परसापारा	60	0.000	0.000	0.400	0.400
			24	पाळपुर	20	6.843	12.602	31.814	51.349
			25	पोढ़िपा	16	5.175	9.083	36.291	50.549
			26	रमेशपुर	43	0.000	0.410	3.716	4.127
			27	रामेश्वरपुर	11	0.256	5.915	28.877	35.048
			28	सरस्वतीपुर	53	0.000	0.246	0.610	0.856
			29	सेमरा, सम्बलपुर	37	0.000	1.421	2.237	3.658
			30	सिलफिली (सुरजपुर)	30	0.000	0.000	0.549	0.549

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			31	सोनवाही	37	0.000	1.214	3.447	4.661
			32	सुंदरगंज	22	0.000	24.092	113.182	137.274
			33	तुलसी	36	0.473	53.185	71.251	124.391
योग—						32.074	223.261	679.007	934.739

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
3.	कारखाना द्वार	भैयाथान	1	बतरा	45	0.000	1.990	3.266	5.255
			2	बुन्दीया	32	0.650	4.070	10.317	15.037
			3	दवना	45	0.000	0.270	0.000	0.270
			4	धरमपुर (चिकनी)	32	2.266	11.673	15.175	29.338
			5	पकनी(भैयाथान)	45	0.000	1.226	0.718	1.943
			6	राई(भईयाथान)	45	0.300	1.005	0.000	1.055
			7	राजकिशोर नगर	38	0.000	0.380	0.410	0.790
			8	सलका-मानपुर	40	2.190	2.440	1.630	6.259
			9	सत्यनगर	50	0.000	0.350	0.000	0.350
			10	सुदामानगर	42	0.000	3.278	3.132	6.410
			11	टोमो	46	0.000	7.045	4.900	11.615
योग—						5.406	33.725	39.546	78.322

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
4.	कारखाना द्वार	राजपुर	1	आरा	33	0.000	0.212	8.999	9.211
			2	अखोराखुर्द	21	0.904	12.932	72.888	86.724
			3	अमड़ी पारा	40	0.000	0.000	0.221	0.221
			4	बदौली	20	4.752	20.341	175.586	200.679
			5	बगाडी	45	0.000	0.373	8.629	9.002
			6	बैड़ी	50	0.000	0.000	0.385	0.385
			7	भेण्डी	36	0.000	6.700	8.920	15.620
			8	चौरा	9	0.000	22.659	58.815	80.033
			9	डकवा	25	0.000	0.376	5.515	5.891
			10	डाडखडुआ	50	0.000	0.000	1.188	1.188
			11	धंधापुर	20	0.000	23.287	41.142	62.745
			12	दुप्पी	16	0.000	10.739	94.658	105.989
			13	गोपालपुर	24	0.000	0.148	23.605	23.752
			14	शिङ्गो	40	0.000	0.409	2.390	2.799
			15	ककना	29	0.423	1.239	22.029	23.691
			16	करजी	57	0.000	0.791	2.380	3.170
			17	कर्रा (राजपुर)	55	0.000	4.102	7.590	11.692
			18	करवां	25	0.000	0.240	1.263	1.503
			19	खोखनिया	9	0.228	4.797	27.243	32.314
			20	खोरदो	22	2.628	25.782	32.699	61.108
			21	खुखरी	23	1.883	26.194	49.880	78.151
			22	कुन्दीकला	20	6.101	40.340	73.182	119.623
			23	लाऊ	50	0.000	0.141	1.226	1.367
			24	लडुवा	55	0.000	0.000	0.513	0.513
			25	मदनेश्वरपुर	36	1.109	6.393	17.312	24.814
			26	मरकाडांड	19	0.000	14.629	132.085	147.785
			27	मुरका (राजपुर)	23	0.000	0.335	3.931	4.266
			28	नरसिंहपुर	55	0.000	10.136	113.039	123.202
			29	नवकी	39	0.000	0.299	1.479	1.778
			30	परसवार	18	0.000	4.957	37.173	41.902

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			31	परसागुड़ी	49	0.000	0.224	22.086	22.309
			32	पेन्डारी (राजपुर)	50	0.000	0.000	1.656	1.656
			33	रेवतपुर	15	6.785	21.095	68.367	97.861
			34	शिवपुर	19	0.782	11.167	14.903	26.853
			35	सिधमा	23	2.213	9.923	47.440	59.576
			36	सिंहबौरा	48	0.000	0.000	8.924	8.924
योग—						27.807	280.958	1189.341	1498.298

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
5.	कारखाना द्वार	बलरामपुर	1	अमरपुर	41	0.000	0.400	0.900	1.300
			2	अमरावतीपुर	55	0.000	5.204	7.900	13.104
			3	बरगई	45	0.000	0.000	0.150	0.150
			4	बसेराकला	60	0.000	0.000	0.300	0.300
			5	भाला	110	0.000	0.000	1.480	1.480
			6	भुलसी	90	0.000	0.000	0.300	0.300
			7	चलगली खास	58	0.000	0.600	1.240	1.840
			8	चलगली(करी)	34	0.000	7.000	33.364	40.364
			9	चमनपुर	30	0.000	1.600	10.952	12.552
			10	चिरई	95	0.000	0.000	0.240	0.240
			11	डौरा	85	0.000	0.000	0.150	0.150
			12	कड़िया	51	0.000	0.600	7.508	8.108
			13	कोदौरा	50	0.000	0.000	1.040	1.040
			14	कृष्णनगर	110	0.000	0.000	2.380	2.380
			15	मकरो	34	0.000	0.000	1.710	1.710
			16	मितगई	80	0.000	0.000	0.720	0.720
			17	पकरीटोली	90	0.000	0.000	0.200	0.200
			18	सेन्दुर	78	0.000	0.808	0.400	1.208
			19	उफिया	50	0.000	0.000	0.771	0.771
योग—						0.000	16.212	71.705	87.917

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
6.	कारखाना द्वार	शंकरगढ	1	बेलकोना	95	0.000	2.123	21.427	23.550
			2	भैरवपुर(शंकरगढ)	67	0.000	0.049	2.102	2.152
			3	चैनपुर(डिपाडीह)	92	0.000	0.000	0.988	0.988
			4	दामोदरपुर	62	0.000	0.000	2.088	2.088
			5	डिपाडीह	80	0.000	1.300	1.800	3.100
			6	घुघरी कला	90	0.000	0.000	0.070	0.070
			7	घुघरी खुर्द	72	0.000	0.173	0.000	0.173
			8	हर्गावान	80	0.000	0.427	3.209	3.636
			9	करासि(डीपाडीह)	80	0.000	0.000	0.451	0.451
			10	खैराडीह-शंकरगढ	68	0.000	0.000	1.936	1.936
			11	मनकेपी	61	0.000	0.864	0.382	1.246
			12	मानपुर(शंकरगढ)	62	0.000	0.000	0.493	0.493
			13	मुर्का(शंकरगढ)	40	0.000	0.000	0.053	0.053
			14	नवापारा(शंकरगढ)	88	0.000	0.000	0.545	0.545
			15	पहरी	72	0.000	0.442	1.784	2.225
			16	सरगवां(शंकरगढ)	63	0.000	0.000	0.185	0.185
			17	सिलफिली	64	0.000	0.000	8.969	8.969
			18	कमारी	44	0.000	1.109	3.118	4.227
योग-						0.000	6.486	49.599	56.085

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
7.	कारखाना द्वार	रामचन्द्रपुर	1	गम्हरिया	119	0.000	0.000	1.500	1.500
			2	नावापारा(रा०गंज)	68	0.000	0.000	0.300	0.300
			3	त्रिकुण्डा	90	0.000	1.600	8.732	10.332
योग—						0.000	1.600	10.532	12.132

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
8.	कारखाना द्वार	वाड्डफनगर	1	बेबाड़ी	110	0.000	0.000	0.680	0.680
			2	चुमरा	101	0.000	0.000	0.300	0.300
			3	कच्छिया	70	0.000	4.075	5.922	9.996
			4	करमड़ीहा	70	0.000	0.000	0.400	0.400
			5	कोटराही	70	0.000	0.000	0.600	0.600
			6	महेवा	70	0.000	0.200	0.800	1.000
			7	महुली	80	0.000	0.000	0.908	0.908
			8	पड़ौली(वाड्डफनगर)	60	0.000	2.207	3.407	5.614
			9	रजखेता(वाड्डफनगर)	50	0.000	2.806	3.206	6.012
			10	शिवरी	42	0.000	0.000	1.000	1.000
			11	सुलसुली	77	0.000	3.002	14.722	17.724
			12	सुरहुल	87	0.000	0.300	0.800	1.100
			13	स्याही	76	0.000	0.400	1.100	1.500
योग—						0.000	12.989	33.844	46.834

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
9.	कारखाना द्वार	अम्बिकापुर	1	अम्बिकापुर	28	0.000	0.465	1.903	2.368
			2	बलसेही	26	3.128	17.973	16.734	37.835
			3	भफौली	31	1.196	3.725	5.320	10.240
			4	भगवानपुर	40	0.000	0.566	1.374	1.940
			5	भिदूटीकला	38	0.000	0.000	0.243	0.243
			6	छिन्दकालो	45	0.000	0.000	0.634	0.634
			7	दरिमा	44	0.000	0.310	0.427	0.737
			8	घघरी	27	0.961	3.673	6.572	11.205
			9	गोधनपुर	28	0.000	0.000	0.337	0.337
			10	कंचनपुर(अ.पुर)	31	0.147	0.888	1.149	2.184
			11	करन्हा(अ.पुर)	36	0.346	2.126	3.557	6.029
			12	कर्ग (पाटीपारा)	59	0.387	0.378	0.718	1.483
			13	केरा कछर	42	0.000	0.000	0.254	0.254
			14	खजुरी (अम्बिकापुर)	51	0.000	0.747	0.749	1.496
			15	खलीबा	31	0.000	0.121	0.244	0.365
			16	कुल्हाडी	28	1.507	5.835	6.144	13.486
			17	लबजी	40	0.773	0.694	2.967	4.434
			18	मानिक प्रकाशपुर	35	0.285	0.000	0.770	1.055
			19	मैदूकला	40	0.230	0.377	0.908	1.515
			20	मेन्डघखुर्द	36	0.000	0.000	0.620	0.620
			21	नवानगर	56	0.000	0.631	0.751	1.382
			22	पम्पापुर(अ.पुर)	55	0.000	0.000	0.328	0.328
			23	रुखपुर	26	2.927	11.794	27.138	41.859
			24	सकालो	21	0.000	0.383	0.825	1.208
			25	सरगवां	21	0.959	0.647	3.012	4.618
			26	ससकालो	51	0.000	0.452	0.386	0.838

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			27	सोनबरसा	61	0.000	0.504	1.139	1.643
			28	टपरकेला-अम्बिकापुर	58	0.000	0.000	1.741	1.741
योग—						12.845	52.287	86.943	152.075

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
10.	कारखाना द्वार	लखनपुर	1	अमलमिठी	68	0.000	0.000	0.993	0.993
			2	अंधला	66	0.000	0.000	0.200	0.200
			3	बिनकरा	57	0.000	0.200	0.200	0.400
			4	गणेशपुर(लखनपुर)	51	0.000	0.000	2.560	2.560
			5	गुमगराकला	60	0.000	0.000	0.200	0.200
			6	जमगला	64	0.000	0.000	0.990	0.990
			7	जमगला	65	0.000	0.000	0.990	0.990
			8	कटकोना	63	0.000	1.000	0.000	1.000
			9	सिंहीटाना	41	0.000	0.000	0.403	0.403
			10	तराजू	63	0.000	0.000	0.600	0.600
योग—						0.000	1.200	7.136	8.336

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
11.	कारखाना द्वार	उदयपुर	1	सल्का-उदयपुर	70	0.000	1.630	3.090	4.720
योग—						0.000	1.630	3.090	4.720

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
12.	कारखाना द्वारा	लुण्ढा	1	आमगांव	64	0.000	0.000	5.552	5.552
			2	अगासी	57	0.000	0.000	2.418	2.418
			3	अजिरमा कला	67	0.000	0.000	0.363	0.363
			4	असकला	55	0.794	5.086	109.190	114.492
			5	बदगरी(लुण्ढा)	66	0.000	0.000	3.124	3.124
			6	बहेराडीह	63	0.000	0.000	15.024	15.024
			7	बकना कला	64	0.000	0.000	2.241	2.241
			8	बरगीडीह	63	0.624	1.384	18.788	21.133
			9	बरकोल	76	0.357	0.238	3.081	3.675
			10	बतौली	51	0.000	0.000	1.078	1.078
			11	बटवाही	49	6.901	1.995	96.744	105.640
			12	बुलंगा	55	3.330	2.788	77.404	83.522
			13	चलगली(खालपोड़ी)	58	0.000	0.000	1.489	1.489
			14	चलगली 1(खालपोड़ी)	58	0.000	0.304	9.727	10.030
			15	छेरमुण्डा	56	0.000	0.000	0.830	0.830
			16	चोरकीडीह	50	0.000	0.000	29.793	29.793
			17	डड़गांव	60	1.898	3.302	47.040	52.241
			18	डहौली	63	1.367	0.948	44.693	47.009
			19	डकई	59	0.000	0.000	2.351	2.351
			20	दरिडीह	43	0.000	0.080	1.546	1.546
			21	देवरी (लुण्ढा)	56	0.000	0.400	6.472	6.872
			22	धौरपुर	46	0.000	0.000	0.550	0.550
			23	दोरना	61	2.637	1.579	48.924	53.141
			24	हुमकी	42	1.605	8.112	30.963	40.679
			25	हुन्दु	68	0.000	0.000	0.504	0.504
			26	गढ़बीरा	63	0.500	0.000	5.608	6.108
			27	गंगापुर(लुण्ढा)	49	0.000	2.917	32.624	35.541
			28	गंगोली	60	0.940	2.933	8.599	12.471
			29	गंझाडांड	51	0.000	0.000	0.436	0.436
			30	गेरसा(लुण्ढा)	61	0.000	0.000	3.087	3.087

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			31	घघरी	61	0.265	0.312	0.356	0.932
			32	गुजरवार	63	0.000	0.000	1.377	1.377
			33	जमीरा	55	0.000	0.000	3.688	3.688
			34	जराकेला	73	0.000	0.000	1.030	1.030
			35	जरहाडीह	50	1.022	1.794	112.045	114.862
			36	झेराडीह	63	0.000	4.096	57.396	61.491
			37	जोरी	52	0.318	0.569	1.149	2.036
			38	ककनी	54	0.000	0.000	9.006	9.006
			39	करांकी	62	0.000	0.800	15.446	16.247
			40	करेसर	66	0.000	0.000	3.180	3.180
			41	करगीडीह	52	0.000	0.000	0.954	0.954
			42	करौली	52	0.000	2.269	17.385	19.654
			43	खालपोड़ी	63	0.971	1.342	26.103	28.416
			44	खाराकोना	64	0.000	0.000	8.122	8.363
			45	खुरन्डीह	53	0.836	2.445	15.134	18.416
			46	किरकिमा	66	0.000	0.000	3.818	3.818
			47	कोईलारी	66	0.329	0.000	3.264	3.593
			48	कोरंधा	67	0.000	0.000	1.092	1.092
			49	कोट	52	0.000	4.330	56.578	61.587
			50	कुदर	61	0.000	0.000	2.049	2.049
			51	कुन्दीकला	63	0.000	0.000	1.504	1.504
			52	लमगांव	50	1.135	5.275	153.453	159.863
			53	लुण्ढघ	67	0.000	0.000	3.641	3.641
			54	महोरा	61	0.000	3.745	106.661	110.685
			55	मसंगा	70	1.415	0.647	6.633	8.695
			56	नागम	68	0.000	0.792	3.880	4.672
			57	नवडीहा	58	1.382	1.957	22.121	25.459
			58	पडौली(लुण्ढा)	45	0.212	1.933	18.004	20.148
			59	पार्वतीपुर	63	0.000	0.000	1.550	1.550
			60	पसेना	66	1.708	0.401	43.018	45.126
			61	पटोरा	55	0.812	3.239	13.479	17.530
			62	पतराडीह	69	0.000	0.000	27.759	27.479
			63	पुरकेला	52	0.000	0.000	9.100	9.100

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			64	राई(लुण्ठ्रा)	49	0.000	1.222	43.910	45.132
			65	रघुनाथपुर	44	0.000	0.000	2.310	2.310
			66	राई खुर्द	60	0.000	0.000	6.505	6.505
			67	सहनपुर	58	1.532	1.289	10.203	13.024
			68	सखोली	58	0.408	5.814	32.593	38.815
			69	ससोली	67	0.000	0.000	13.970	13.970
			70	सेमरडीह	53	0.000	0.000	0.977	0.977
			71	सिक्किलमा	51	0.000	0.000	2.138	2.138
			72	सिलसिला	58	0.000	1.051	57.070	58.121
			73	सुमेरपुर	45	0.000	0.000	1.080	1.080
			74	तुरियाबीरा	59	0.000	5.759	75.465	80.546
			75	उदारी	55	0.000	0.000	26.702	26.702
			76	उंचडीह	53	0.504	0.000	10.419	10.923
			77	उपरपोड़ी	69	0.000	0.000	6.827	6.827
			78	उरदरा	66	0.000	0.000	13.891	13.891
योग—						33.802	83.065	1664.275	1781.141

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
13.	कारखाना द्वार	बतौली	1	बासाझार	78	0.000	0.000	1.493	1.493
			2	बासेज	70	0.000	0.000	1.386	1.386
			3	बटईकेला	84	0.000	0.975	4.157	5.132
			4	बतौली	64	0.000	0.542	7.644	8.185
			5	बेलकोटा	54	1.273	0.233	11.112	12.618
			6	बिलासपुर	67	2.212	1.857	11.894	16.711
			7	बिरीमकेला	76	0.707	1.006	9.508	11.221
			8	बिशुनपुर	79	0.000	0.477	2.229	2.707
			9	चिरंगा	64	0.000	1.115	5.864	6.979
			10	देवरी (बतौली)	55	4.804	19.283	73.066	97.049
			11	गहिला	53	0.793	0.796	11.015	12.604
			12	घोघरा	69	0.605	1.371	11.001	12.977
			13	जरहाडीह	77	0.000	0.451	5.299	5.751
			14	झरगांव	59	0.000	2.222	18.867	20.937
			15	कच्छरडीह	76	0.000	1.471	6.307	7.778
			16	कपाटखहरी	77	0.993	4.477	30.698	35.966
			17	कुड़केल	78	0.000	0.951	9.260	10.211
			18	कुनकुरी	64	0.000	0.000	2.675	2.675
			19	ललाती	75	0.000	0.601	3.356	3.958
			20	महेशपुर	77	0.000	0.375	2.938	3.312
			21	मंगारी	73	0.323	1.161	6.208	7.692
			22	मांजा	63	0.000	0.467	3.939	4.406
			23	मानपुर	70	0.796	0.914	7.299	9.009
			24	नयाबांध	88	0.364	0.770	1.290	2.424
			25	पधरई	67	1.708	0.773	18.351	20.832
			26	पोकसरी	77	0.000	0.623	2.726	3.349
			27	पोपरंगा	67	1.990	3.163	21.085	26.238
			28	सत्याडीह	72	0.742	0.709	7.625	9.077
			29	सरमना	82	0.000	2.021	8.122	10.144
			30	सेदम	70	0.000	0.707	2.483	3.190

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
			31	शिवपुर (बतौली)	60	0.000	0.000	3.095	3.095
			32	सिलमा	72	2.671	15.424	51.363	69.563
			33	सुवारपारा	69	0.000	1.333	1.287	2.396
			34	तरागी/बोदा	71	1.317	2.374	18.749	22.440
			35	टेडगा	62	2.143	1.853	19.110	22.558
			36	तेलईधार	91	0.000	0.247	2.257	2.504
			37	टिरंग	76	0.000	0.448	6.946	7.394
			38	उमापुर	61	0.000	0.000	2.325	2.325
योग-						23.442	71.189	414.027	508.281

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
14.	कारखाना द्वार	सीतापुर	1	बगडोली	96	0.000	0.592	2.256	2.847
			2	बनेया	98	0.000	0.719	1.611	2.330
			3	बेलजोरा	94	0.000	1.424	3.350	4.774
			4	भवराडांड	85	0.302	1.076	3.883	5.260
			5	भूसु	94	0.938	2.019	8.507	10.749
			6	देवगढ	84	0.000	0.583	2.828	3.411
			7	गिरहुलडीह	96	0.000	0.207	1.516	1.723
			8	हराटिकरा	93	0.000	0.000	1.179	1.179
			9	परसा(सीतापुर)	88	0.000	0.000	0.882	0.882
			10	प्रतापगढ़	96	0.228	2.140	4.180	6.547
			11	राइकेरा(सीतापुर)	87	0.000	0.000	1.065	1.065
			12	रजपुरी	98	0.870	0.775	2.561	4.206
			13	सहनपुर	92	0.000	0.000	0.403	0.403
			14	उलकिया	100	1.882	1.826	6.912	11.335
योग—						4.218	11.361	41.130	56.709

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र	विकास खण्ड	क्र.	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ने का क्षेत्रफल (हे० में)			
						शरद कालीन	पौधा	पेड़ी	योग
15.	कारखाना द्वार	मैनपाट	1	जजगा	86	0.000	0.439	2.660	3.099
			2	जंगलपारा	98	0.000	1.373	8.904	10.277
			3	कतकालो	99	0.000	1.216	2.584	3.800
			4	कोट वंदना	93	0.000	0.520	1.676	2.196
योग—						0.000	3.548	15.823	19.371

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2021

क्र. 21/चार/निरर्हित/2018-21/902.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे श्री दयानन्द सिंह, जिला-बलरामपुर को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/7/2018, दिनांक 03 मार्च, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 3 मार्च, 2021—12 फाल्गुन, 1942 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/7/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचन अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है.

और यतः, 7-रामानुजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 15 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री दयानन्द सिंह जो छत्तीसगढ़ के 7-रामानुजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने से विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दयानन्द सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री दयानन्द सिंह को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप से अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री दयानन्द सिंह द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर द्वारा अपने दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 के पत्र सं. 838/निर्वा.स्था./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर द्वारा, अपने दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 के पत्र सं. 838/निर्वा.स्था./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दयानन्द सिंह ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दयानन्द सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफला के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 7-रामानुजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री दयानन्द सिंह, ग्राम-इन्दावतीपुर, पोस्ट व थाना-सनावल, तहसील-रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 3rd March, 2021—12 Phalguna, 1942 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/7/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018 As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 7-Ramanujganj Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 15th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Balrampur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Dayanand Singh, Independent contesting candidate from 7-Ramanujganj Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Balrampur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 23rd August, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, Sh. Dayanand Singh, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 23rd August, 2019, Sh. Dayanand Singh, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for on-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Dayanand Singh, on 11th September, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Balrampur vide his letter No. 838/निर्वा.स्था./2020 dated 6th October, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Balrampur vide his letter No. 838/निर्वा.स्था./2020 dated 6th October, 2020, has stated that Sh. Dayanand Singh, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Dayanand Singh, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Dayanand Singh, resident of Village-Indrawatipur, PO-Sanawal Police Station-Sanawal, Tahsil-Ramanujganj, District-Balrampur-Ramanujganj (C.G.) and the contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 7-Ramanujganj Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)

Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.
